

GST संग्रह

मार्च 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) का सकल संग्रह (फरवरी में हुए वक्रिय के संदर्भ में) बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह संग्रह मार्च 2021 की तुलना में 14.7% और मार्च 2020 की तुलना में 45.6% अधिक है।

GST संग्रह में वृद्धि का कारण:

- अपवंचन-रोधी उपाय, "वशेष रूप से नकली बलि भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई" और आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी के कारण GST संग्रह में यह वृद्धि हुई है।
- 'उत्क्रमी शुल्क संरचना' (Inverted Duty Structure) को ठीक करने के लिये GST परिषद द्वारा किये गए दर युक्तिकरण उपाय।
 - उत्क्रमी शुल्क संरचना एक ऐसी स्थितिको संदर्भित करती है जहाँ आगत/नविश/इनपुट पर टैक्स की दर यानी GST, आउटपुट आपूर्तिया तैयार वस्तु/माल पर लगने वाले कर की दर से अधिक होती है।
- आर्थिक सुधार और घरेलू खपत में वृद्धि।
 - फरवरी में जारी ई-वे बलियों की कुल संख्या 6.91 करोड़ थी, जो एक महीने पहले देखे गए 6.88 करोड़ ई-वे बलियों से अधिक थी, अन्य महीनों की तुलना में फरवरी माह में दानों की संख्या कम होने के बावजूद यह "व्यावसायिक गतिविधियों की तीव्र रकवरी" को इंगति करता है।

वस्तु एवं सेवा कर:

- GST को 101वें संवधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
 - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' (One Nation One Tax) के नारे के साथ पेश किया गया था।
- जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धति कर (वैट), सेवा कर, वलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया है।
- यह अनविरय रूप से एक उपभोग कर (Consumption Tax) है और अंतमि उपभोग बट्टि पर लगाया जाता है।
- इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाज़ार को प्रस्तुत किया है।
- वस्तुओं या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, अब GST को अंतमि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
 - सेट ऑफ टैक्स (Set Off Tax) को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
- जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता जो अंतमि उपभोक्ता पर भारित होता है।
- GST के तहत कर संरचना:
 - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
 - VAT, लक़री टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी।
 - अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (IGST)।
 - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
 - इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस